वि.स. प्र.क्र. आता. क्र. 1511 [16/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र.1511]

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 30–18/2002/सात–2ए

प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी, 2003

1. समस्त कमिश्नर,
2. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

23 JAN 2003

विषय:– चरनोई का रकबा न्यूनतम दो प्रतिशत रखते हुए उपलब्ध कृषि भूमि का अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन

सन्दर्भ:– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 18 अक्टूबर, 2002.

कृपया इस विभाग का सन्दर्भित ज्ञापन देखें। इस मामले में राज्य शासन के निर्देश इस प्रकार है :–

राज्य शासन प्रदेश में चरनोई का रकबा कम करने से प्राप्त काबिल कास्त भूमि एवं अन्य मदों की दखल रहित भूमि का कृषि प्रयोजनों के लिए आवंटन के संबंध में नीति का पुनः निर्धारण करके शीघ्र ही नई योजना प्रसारित करने जा रहा है। अतः आगामी आदेश तक चरनोई से परिवर्तित काबिल कास्त भूमि के आवंटन की प्रकिया तत्काल प्रभाव से रोक दी जावे। राज्य शासन शीघ्र ही इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा।

2/ कृपया आगामी आदेश तक उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(सत्यानन्द मिश्र)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग